

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक : एफ20(415)आयो/निकाशि/2013/865

दिनांक : 17.07.2013

कार्यालय-आदेश

वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयोजना मद अन्तर्गत निम्नांकित राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2013-14 में नवीन विषय स्नातक स्तर पर प्रारम्भ करने एवं उनके सम्मुख अंकित नवीन पदों के सृजन करने की वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 101303005 दिनांक 16-7-2013 की सहमति के आधार पर जारी की जाती है :-
स्नातक स्तर :-

- (1) बजट मद 2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
103- राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान
02- राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) आयोजना


क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय	सृजित पद	संख्या
1	राजकीय महाविद्यालय, बारां	कला	उर्दू	व्याख्याता	01
2	राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा	कला	लोक प्रशासन	व्याख्याता	01
3	राजकीय महाविद्यालय, पाली	कला	उर्दू	व्याख्याता	01
4	राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	कला	उर्दू	व्याख्याता	01
5	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा	कला	दर्शनशास्त्र	व्याख्याता	01
6	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	कला	भूगोल	व्याख्याता	01
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
7	राजकीय महाविद्यालय, नागौर	कला	भूगोल	व्याख्याता	01
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
	योग		योग		11

- (2) बजट मद 2202— सामान्य शिक्षा
 03— विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
 103— राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान
 03— राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए) आयोजना

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय	सृजित पद	संख्या
1	राजकीय कन्या महाविद्यालय, दौसा	कला	गृह विज्ञान	व्याख्याता	01
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
			योग		03


- (3) बजट मद 2202— सामान्य शिक्षा
 03— विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
 103— राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान
 796— जनजाति उपयोजना क्षेत्र
 01— राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) आयोजना

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय	सृजित पद	संख्या
1	राजकीय महाविद्यालय, सलूमबर	विज्ञान	भौतिक शास्त्र	व्याख्याता	01
			रसायनशास्त्र	व्याख्याता	01
			गणित	व्याख्याता	01
			वनस्पतिशास्त्र	व्याख्याता	01
			जीव विज्ञान	व्याख्याता	01
				प्रयोगशाला सहायक	04
	प्रयोगशाला वाहक	04			
	योग				13


 (न. न. जैन)
 निदेशक

- क्रमांक : एफ20(415)आयो/निकाशि/2013/866-894 दिनांक : 11.07.2013
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
 1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान जयपुर ।
 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
 3. महालेखाकार, हक एवं लेखा, राजस्थान जयपुर ।

4. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग, जयपुर ।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राज. जयपुर ।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) (गुप-5) विभाग, जयपुर ।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर ।
8. संयुक्त सचिव, मोनिटरिंग (गुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
9. कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
10. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
11. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
12. मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
13. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
14. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा राज. जयपुर ।
15. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग राज. जयपुर ।
16. संयुक्त निदेशक, प्रशासन/ कार्मिक आयुक्तालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन सृजित पदों (व्याख्याता) को सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से नियमानुसार भरे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें । वित्त विभाग के आदेशानुसार वर्तमान में संविदा नियुक्ति पर राज्य सरकार नगी रोक है । अतः व्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्ति से एवं सेवानियुक्त प्राध्यापकों को वित्त विभाग/कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय पर गैस्ट फौकल्टी के रूप में (आर. पी.एस.सी. से नियमित नियुक्ति तक) लगाये जाने पर सहमति प्रदान की गई है । अतः तदानुसार कार्यवाही करें ।
18. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विषयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि बढ़ाई जाये और अधिकतम विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये ।
19. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया नियमानुसार वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति जारी करावें ।
20. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ।
21. डा० धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेब
22. रक्षित पत्रावली ।


 (डा० सी०एम० खटीक)
 संयुक्त निदेशक, आयोजना